

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या: पॉच-470(वरि0 पदो0)2023

दिनांक: 30/12/2023

## आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथा संशोधित में किये गये प्रावधानों के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को उनके वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जो दिनांक 01-01-2024 से प्रभावी होगा:-

क्र० सं०	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति जनपद/इकाई	उपयुक्त का चयन वर्ष
1	880671273	बलराम सिंह	श्री वकील सिंह	08-07-1969	कमिश्नरेट गाजियाबाद	उपयुक्त-2023
2	972770260	राम कुमार राजभर	नथई राजभर	20-03-1976	सिद्धार्थनगर	उपयुक्त-2023
3	942121551	दिनेश कुमार शर्मा	सत्यप्रकाश शर्मा	15.12.74	अमरोहा	उपयुक्त-2023
4	980740848	शशिनाथ भारती	सत्यदेव भारती	20.09.1978	देवरिया	उपयुक्त-2023
5	952080222	बनारसी यादव	श्री राम बली यादव	05.09.75	कमिश्नरेट वाराणसी	उपयुक्त-2023
6	912650140	जितेन्द्र कुमार	श्री धर्मवीर सिंह	15-05-1972	मुरादाबाद	उपयुक्त-2023
7	942030110	राधवेन्द्र तिवारी	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	20-10-1973	फतेहगढ़	उपयुक्त-2023
8	960650244	जनार्दन सिंह यादव	श्री हनुमान सिंह यादव	30.06.1976	कानपुर नगर	उपयुक्त-2023
9	972463979	श्री सुरजीत कुमार	श्री बीरेन्द्र सिंह	22.07.1976	फतेहपुर	उपयुक्त-2023
10	982511293	बीनू चौधरी	श्री नरेन्द्र सिंह	25.12.1979	सहारनपुर	उपयुक्त-2023
11	982511453	राजीव कुमार	वीरपाल सिंह	01-09-1978	जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद	उपयुक्त-2023
12	890720415	श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव	जगन्नाथ लाल श्रीवास्तव	12.08.1969	प्रतापगढ़	उपयुक्त-2023
13	942531567	यशपाल सिंह	श्री दर्शन सिंह	16-06-1973	बदायूँ	उपयुक्त-2023
14	982766691	राजेश प्रताप सिंह	श्री उमेश सिंह	11.02.1978	सोनभद्र	उपयुक्त-2023
15	912560278	श्री आनन्द पाल सिंह	स्व० बच्चू सिंह भदौरिया	10.09.1971	फतेहपुर	उपयुक्त-2023
16	980630831	नन्द राम	गनेश प्रजापति	05-08-1976	बांदा	उपयुक्त-2023
17	922530597	जयपाल सिंह रावत	श्री मंगल सिंह रावत	27-05-1972	कमिश्नरेट गाजियाबाद	उपयुक्त-2023
18	960480791	सत्य प्रकाश	श्री देवी दास	05-12-1972	फतेहगढ़	उपयुक्त-2023
19	980450374	रमेश कुमार यादव	राम राज यादव	11.10.1977	प्रतापगढ़	उपयुक्त-2023

2- पदोन्नति प्राप्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान जनपद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मी की वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये कार्मिक की नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रारूप (क)

(एल० आर० कुमार)  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- पुलिस आयुक्त, कानपुर/गाजियाबाद एवं वाराणसी।

- 3- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर/बरेली/मुरादाबाद/कानपुर/मेरठ/प्रयागराज एवं वाराणसी।
- 4- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, बस्ती/मुरादाबाद/गोरखपुर/कानपुर/प्रयागराज/सहारनपुर/बरेली/मिर्जापुर एवं चित्रकूट धाम परिक्षेत्र चित्रकूट।
- 5- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर/अमरोहा/देवरिया/मुरादाबाद/फतेहगढ/फतेहपुर/सहारनपुर/प्रतापगढ/बदायूँ/सोनभद्र एवं बाँदा।
- 6- पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रश्नगत आदेश को उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

संख्या तथा दिनांक वही।

मूलपर नही।

प्रतिलिपि:-अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-4 स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

## स्वघोषणा-पत्र

मैं,----- (नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र  
 -----निवासी-----थाना-----जनपद----- वर्तमान में  
 (जनपद/इकाई का नाम)----- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण -----
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0----- धारा-----थाना ----- जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉक एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी  
 नाम/पदनाम की मुहर